न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 1910 दिनांक – 08.05.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मालाराम पुत्र चुनाराम जाति नाई निवासी कुम्हारों का तला, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।		1 तेजसिंह 2 जोगराजसिंह पिसरान उदयराजसिंह 3 विजयसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपुत निवासी उदय नगर, बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 641/2024 दिनांक–02/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुम्हारों का तला पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर भूमि खसरा संख्या 201 रकबा 0.0486 हेक्टयर, खसरा संख्या 203 रकबा 0.0324 हेक्टयर व खसरा संख्या 204 रकबा 23.9735 हेक्टयर, भुमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 1911-1914 दिनांक– 08.05.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मालाराम पुत्र चुनाराम जाति नाई निवासी कुम्हारों का तला, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण तेजसिंह पुत्र उदयराजसिंह वगैरह जाति राजपुत निवासी उदय नगर बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर